न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

अपील संख्या 26/2017

श्री बाबूलाल बुन्देल पुत्र स्व0 श्री सुवालाल जी बुन्देल उम्र 71 वर्ष निवासी,गली नं0 10,तानाजी नगर, भजनगंज, अजमेर थाना अलवर गेट, अजमेर जिला अजमेर।...अपीलान्ट

बनाम

1. श्री राजेश बुन्देल पुत्र श्री बाबूलाल बुन्देल, जाति कोली निवासी–द्वारा सुरेन्द्र जी टेलर पुत्र श्री गंगाराम, रतनसिंह झाला के मकान के सामने गली नं0 09, तानाजी नगर, भजनगंज, थाना अलवर गेट, तहसील व जिला–अजमेर (राज0) रतनसिंह
2. श्रीमती योगेश कुमारी पत्नी श्री राजेश बुन्देल पुत्र श्री बाबूलाल बुन्देल, जाति कोली निवासी–द्वारा सुरेन्द्र जी टेलर पुत्र श्री गंगाराम, रतनसिंह झाला के मकान के सामने गली नं0 09, तानाजी नगर, भजनगंज, थाना अलवर गेट, तहसील व जिला–अजमेर (राज0) हाल निवासी दिलराज विला डॉ0 मिश्रा की गली, श्रंगार चवरी, भजनगंज,अजमेर।

.....रेस्पोडेन्टस

माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 तथा राजस्थान माता–पिता वरिष्ठ नागरिकों भरण–पोषण नियम–2010 के के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पर अधिनस्थ अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.07.2017 के विरूद्ध अपील

आदेश दिनांक :– 21.12.2017

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र माता –पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 एवं राजस्थान माता–पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 तहत अधिनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि प्रार्थी एक 71 वर्षीय वृद्ध वरिष्ठ नागरिक, रिटायर्ड रेल्वे कर्मचारी है जो कि तानाजी नगर गली नं0 10 भजनगंज, थाना, अलवरगेट, अजमेर स्थित अपनी स्वअर्जित/स्वनिर्मित सम्पत्ति में निवास करता है। प्रार्थी के तीन संताने है जिनमें दो पुत्रियॉ एवं एक पुत्र अप्रार्थी संख्या 01 है। प्रार्थी द्वारा तीनों का विवाह अपनी क्षमता अनुसार अच्छा किया गया। छोटी पुत्री अपने ससुराल राजी खुशी निवास कर रही है। बडी पुत्री राजी खुशी ससुराल जीवन यापन कर रही थी जिसमें अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थी की सम्पति/मकान हडपने की बदनीयति से प्रार्थी की पुत्री कविता के पति को आये दिन भडकाकर दोनो के मध्य इतने विवाद करवा दिये कि दोनो का साथ रहना दुभर हो गया। इसलिए वर्तमान में बडी पुत्री कविता एवं उसका पुत्र प्रार्थी के साथ ही निवास कर रहें है। अप्रार्थीगण सं0 01, 02 (प्रार्थी की पुत्र एवं पुत्र वधु)काफी झगडालू किस्म के है। प्रार्थी की पत्नि

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

का वर्ष 2015 में निधन होने के प्रश्चात अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी पर अनुचित दवाब बनाकर प्रार्थी का मकान स्वयं (अप्रार्थी संख्या 01) के नाम करवाना चाहतें है। प्रार्थी द्वारा इसका विरोध करने पर उनके द्वारा प्रार्थी से लडाई–झगडा एवं मारपीट करते है। प्रार्थी हृद्धय रोग एवं उच्च रक्त चाप से ग्रसित है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण से जान का खतरा है। दिनांक 25.5.2016 को अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी से पैसों की मांग की गई, मना करने पर लडाई–झगडा एवं गाली गलौच किया एवं जबरन पैसे छीन लिए एवं प्रार्थी को मकान से बेदखल करने एवं जान से मारने की कोशिश की जिससे प्रार्थी चोटिल भी हो गया। जिसकी मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक, अजमेर को शिकायत पर अप्रार्थी द्वारा पुनः मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। जिसकी शिकायत थानाधिकारी, अलवर गेट को की गई। अप्रार्थी सं0 01 द्वारा अपनी पत्नि के साथ थाने पर आकर प्रार्थी की पुत्री कविता पर अप्रार्थी संख्या 02 के कपडे फाडने एवं मारपीट के झूठे एवं बेबुनियाद आरोप लगाये। अप्रार्थी संख्या 01 पेशे से वकील होने से अपने चार–पॉच साथियों के साथ जबरन पुलिस पर दवाब बनाया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 एवं पुलिस कर्मी कन्हैयालाल द्वारा प्रार्थी के साथ गाली गलौच एवं मारपीट की गई, जिससे प्रार्थी की तबियत बिगड गई जिस पर प्रार्थी को रेल्वे हॉस्पीटल में भती करवाया गया। प्रार्थी, आये दिन धमकी देता है कि बुढे तुने वकील से पंगा लिया है तेरी सारी जिन्दगी थाने–अदालतो में चक्कर लगाते हुए पुरी नहीं की तो मेरा नाम राजा नहीं। प्रार्थी जिस सम्पति में निवास कर रहा है उस पर मेरे सिवाय किसी का अधिकार नहीं है। अप्रार्थी उसके मकान को येन केन प्रकारेण हडपना चाहता है। इसलिए प्रार्थी द्वारा उक्त मकान बाबत एक वसियत दिनांक 27.6.2016 को निष्पादित कर उप पंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध करवाई गई है जो कि मेरी अंतिम वसीयत हैं। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थी के मकान के प्रथम तल के एक कमरे पर रखकर ताला लगा रखा है जिसमें रखे सामान को जरूरत बताकर लेने आने का आधार बनाकर समय बे–समय आकर प्रार्थी को नाजायज परेशान करता है। कमरा खाली करने को कहने के बावजूद खाली नहीं करता है एवं कहता है कि इसी के आधार पर ही तो मैं तुझे अदालतों के चक्कर कटवाउगॉ। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अपनी पत्नी से प्रार्थी एवं प्रार्थी के रिश्तेदारों के विरूद्ध न्यायालय में झूठा इस्तगासा धारा 323, 354, 341, 406, एवं 498–ए भारतीय दंड संहिता का दायर किया जिसमें सांठ गांठ कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के मकान के एक कमरे पर जबरन कब्जा कर रखा है जिसके बहाने प्रार्थी के साथ आये दिन मारपीट एवं गाली गलौच किये जाने से परेशान होकर प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007, एवं राजस्थान माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 के तहत अप्रार्थीगण से भरण पोषण हेतु राशि दिलवाये जाने के आदेश हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधिनस्थ अधिकरण द्वारा सरसरी तौर पर अधिनस्थ अधिकरण द्वारा "न्यायालय में वाद विचाराधीन" को आधार बनाकर आदेश दिनांक 25.7.2017 द्वारा खारिज कर दिया गया। इसी आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधिनस्थ अधिकरण का प्रश्नगत आदेश अपास्त करने एवं प्रत्यर्थीगण से मुआवजा राशि दिलवाये जाने की इस्तदुआ के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों. को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ न्यायालय से सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पों0 सं0 01 स्वयं उपस्थित आये। रेस्पो0 सं0 01, 02 की ओर से जवाब अपील प्रस्तुत किया। प्रकरण वास्ते सुनवाई नियत किया गया। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अपीलान्ट ने मुख्यतः निवेदन किया कि प्रार्थी एक 71 वर्षीय वृद्ध वरिष्ठ नागरिक, रिटायर्ड रेल्वे कर्मचारी है जो कि तानाजी नगर गली नं0 10 भजनगंज, थाना, अलवरगेट, अजमेर स्थित अपनी स्वअर्जित/स्वनिर्मित सम्पत्ति में निवास करता है। प्रार्थी के तीन संताने है जिनमें दो पुत्रियॉ एवं एक पुत्र अप्रार्थी संख्या 01 है। प्रार्थी द्वारा तीनों का विवाह अपनी क्षमता अनुसार अच्छा कर दिया। छोटी पुत्री अपने ससुराल राजी खुशी निवास कर रही है। बडी पुत्री राजी खुशी ससुराल जीवन यापन कर रही थी जिसमें अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थी की सम्पति/मकान हडपने की बदनीयति से प्रार्थी की पुत्री कविता के पति को आये दिन भडकाकर दोनो के मध्य इतने विवाद करवा दिये कि दोनो का साथ रहना दुंभर हो गया। इसलिए वर्तमान में बडी पुत्री कविता एवं उसका पुत्र प्रार्थी के साथ ही निवास कर रहें है। अप्रार्थीगण सं0 01, 02 (प्रार्थी की पुत्र एवं पुत्र वधु)काफी झगडालू किस्म के है। प्रार्थी की पत्नि का वर्ष 2015 में निधन होने के प्रश्चात अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी पर अनुचित दवाब बनाकर प्रार्थी का मकान स्वयं (अप्रार्थी संख्या 01) के नाम करवाना चाहतें है। प्रार्थी द्वारा इसका विरोध करने पर उनके द्वारा प्रार्थी से लडाई–झगडा एवं मारपीट करते है। प्रार्थी हृद्धय रोग एवं उच्च रक्त चाप से ग्रसित है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण से जान का खतरा है। दिनांक 25.5.2016 को भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी से पैसों की मांग की गई, मना करने पर लडाई–झगडा एवं गाली गलौच किया एवं जबरन पैसे छीन लिए एवं प्रार्थी को मकान से बेदखल करने एवं जान से मारने की कोशिश की जिससे प्रार्थी चोटिल भी हो गया। मेरे द्वारा पुलिस अधिक्षक, अजमेर को शिकायत पर अप्रार्थी द्वाराः मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। जिसकी शिकायत थानाधिकारी, अलवर गेट को की गई। अप्रार्थी सं0 01 द्वारा अपनी पत्नि के साथ थाने पर आकर प्रार्थी की पुत्री कविता पर अप्रार्थी संख्या 02 के कपडे फाडने एवं मारपीट के झूठे एवं बेबुनियाद आरोप लगाये। अप्रार्थी संख्या 01 पेशे से वकील होने से अपने चार–पॉच साथियों के साथ जबरन पुलिस पर दवाब बनाया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 एवं पुलिस कर्मी कन्हैयालाल द्वारा गाली गलौच एवं मारपीट की जिससे प्रार्थी की तबियत बिगड गई जिस पर प्रार्थी को रेल्वे हॉस्पीटल में भती करवाया गया। प्रार्थी द्वारा आये दिन धमकी देता है कि बुढे तुने वकील से पंगा लिया है तेरी सारी जिन्दगी थाने–अदालतो में चक्कर लगाते हुए पुरी नहीं की तो मेरा नाम राजा नहीं। प्रार्थी जिस सम्पति में निवास कर रहा है उस पर मेरे सिवाय किसी का अधिकार नहीं है। अप्रार्थी उसके मकान को येन केन प्रकारेण हडपना चाहता है। इसलिए प्रार्थी द्वारा उक्त मकान बाबत एक वसियत दिनांक 27.6.2016 को निष्पादित कर उप पंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध करवाई गई है जो कि मेरी अंतिम वसीयत हैं। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थी के मकान के प्रथम तल के एक कमरे पर रखकर ताला लगा रखा है जिसमें रखे सामान को जरूरत बताकर लेने आने का आधार बनाकर समय बे–समय आकर प्रार्थी को नाजायज परेशान करता है। कमरा खाली करने को कहने के बावजूद खाली नहीं करता

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

है एवं कहता है कि इसी के आधार पर ही तो मैं तुझे अदालतों के चक्कर कटवाउगॉ। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अपनी पत्नी से प्रार्थी एवं प्रार्थी के रिश्तेदारों के विरूद्ध न्यायालय में झूठा इस्तगासा धारा 323, 354, 341, 406, एवं 498–ए भारतीय दंड संहिता का दायर किया जिसमें सांठ गांठ कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के मकान के एक कमरे पर जबरन कब्जा कर रखा है जिसके बहाने प्रार्थी के साथ आये दिन मारपीट एवं गाली गलौच किये जाने से परेशान होकर प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007, एवं राजस्थान माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 के तहत अप्रार्थीगण से भरण पोषण हेतु राशि दिलवाये जाने के आदेश हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधिनस्थ अधिकरण द्वारा सरसरी तौर पर अधिनस्थ अधिकरण द्वारा न्यायालय में वाद विचाराधीन का आधार बनाकर आदेश दिनांक 25.7.2017 द्वारा खारिज कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के द्वारा अपीलान्ट के प्रति अपना नैतिक दायित्व का निर्वहन नहीं किया जा रहा है। मकान अपीलान्ट की स्वअर्जित सम्पति है। दोनो का व्यवहार अपीलान्ट के प्रति ठीक नहीं है। वर्तमान में अपीलान्ट किसी प्रकार की कोई आय अर्जित करने में असमर्थ है ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट का नैतिक दायित्व है कि अपीलान्ट का भरण पोषण एवं सेवा सुश्रृषा करें। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश अपास्त किया जाकर दोनो प्रर्त्थीगण से अपीलार्थी को प्रति माह भरण पोषण राशि दिलाये जाने तथा अपीलान्ट के स्वअर्जित मकान के प्रथम तल के एक कमरे पर रेस्पोडेन्ट द्वारा किये गये कब्जे को खाली करवाये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

जवाब में उपस्थित रेस्पोडेन्ट सं0 01 ने अपने जवाब कथनों को दौहराते हुए मुख्यतः निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील कथन गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 प्रार्थी का पुत्र एवं पुत्र वधु है। प्रार्थी रेल्वे से रिटायर्ड कर्मचारी है, जिसको प्रतिमाह 20से40 हजार पेंशन तथा चिकित्सा सुविधा के साथ ट्रेन में आना–जाना भी निशुल्क प्राप्त करता है। प्रार्थी द्वारा उल्लेखित सम्पति/मकान के प्रथम मंजिल पर एक कमरा एक रसोई, लैट–बाथ मेरे द्वारा अपनी निजी आय से वर्ष 2010–11 में अपने रहवास के लिए बनवाया था तथा सतही मंजिल पर एक कमरा जिसमें अप्रार्थी सं0 01 का आफिस है उसका पुर्ननिर्माण भी मेरे द्वारा ही करवाया गया था। इसलिए इन पर मेरा ही कब्जा है तथा हक अधिकार हैं। उपरोक्त उल्लेखित कब्जेशुदा परिसर के उपयोग उपभोग बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा भी माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजमेर से अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी की गई है। प्रार्थी की दोनो पुत्रियॉ झगडालू एवं अत्यन्त खर्चीले, लालची एवं खुले विचारों की होने से अपने ससुराल में नहीं रही। बडी पुत्री कविता द्वारा अपने पहले पति से 7,00,000/– लाख रूपये लेकर राजीनामा कर तलाक लिया गया है। मैने अपने खर्चे पर इसकी दुसरी शादी की वहॉ भी यह 15 दिन से ज्यादा नहीं टिकी एवं अपने दूसरे पति पर झूठा मुकदमा 498, 406 का दर्ज करवा रखा है तथा 10,00,000/– रूपये की मांग कर रही है। अपने दूसरे पति पर जबरदस्ती दवाब बनाकर अपने पिता की सम्पति एवं पेशन प्राप्त करने की नियत से

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

तलाक लेना चाहती है। इसी वजह से वह अपने पिता का बहला फुसला कर व हमारे विरूद्ध उनके कान भरकर आये दिन लडाई झगडा करवाती रहती है। प्रार्थी की पुत्र वधु को भी प्रार्थी व उसकी दोनो पुत्रियों द्वारा दहेज के लिए परेशान करने लग गये जिससे जनवरी 2010 में प्रार्थी की पुत्र वधु द्वारा इनके विरूद्ध दहेज एवं घरेलू हिंसा का परिवाद दर्ज करवाया गया है। प्रार्थी के छोटी पुत्री ज्योति ससुराल में राजी खुशी रहने के कथन भी झूठ है। प्रार्थी की छोटी पुत्री द्वारा प्रेम विवाह किया था उसके लडाई झगडे के व्यवहार के कारण उसको एवं उसके पति को ससुराल वालो ने घर से बेदखल कर दिया था जिससे वह कई साल तक किराये का मकान लेकर अलग रही है। वर्तमान में दोनो पुत्रियॉ प्रार्थी की सम्पति हडपने की नियत से प्रार्थी के साथ ही निवास कर रही है। प्रार्थी की पत्नी कैंसर की गंभीर वीमारी से पीडित थी, उसकी भी सार संभाल पुत्रियों द्वारा नहीं किये जाने से अप्रार्थी द्वारा अपनी माता का इलाज रेल्वे हॉस्पीटल की बजाय प्राइवेट हॉस्पीटल नर्सिंग होम में अपने खर्चे से करवाना पडा, किन्तु गंभीर बिमारी एवं पुत्रियों लडाई झगडे के कारण उनका देहात दिनांक 2.9.2015 को हो गया। अप्रार्थी की पत्नी बी0एड की पढाई कर रही है, जिसे बन्द कराने के लिए भी प्रार्थी की दौनो पुत्रियॉ आये दिन लडाई झगडा करती है। प्रार्थी के दो पुत्र है जो बहुत छोटे है। जिसमें एक चार साल का एवं दूसरा ढाई साल का है। अप्रार्थी संख्या 02 अपनी पढाई पूरी करने के लिए इनकी परेशानी की वजह से आधी बार अपने पीहर रहना पडता है। अप्रार्थी संख्या 01, एक जूनियर वकील है, अपने पेशे से वह बमुश्किल 8–10 हजार रूपये प्रतिमाह अर्जित कर पाता है। जिससे वह अपनी पत्नी एवं दो बच्चों की पढाई लिखाई एवं पालन–पोषण वडी मुश्किल से कर पाता है। प्रार्थी रेल्वे से रिटायर्ड व्यक्ति है जिस पर कोई जिम्मेवारी नहीं है तथा प्रतिमाह पेशन भी 20 से 40 हजार प्राप्त होने के साथ चिकित्सा एवं रेल यात्रा सुविधा भी निशुल्क प्राप्त है। उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थी प्रस्तुत अपील के जरिये वांछित अनुतोष इस न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। लिहाजा अपील अपीलान्ट इस न्यायालय में पोषणीय नहीं होने से सव्यय खारिज फरमाई जावे।

हमने अपील तथ्यों एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन मनन किया। उभय पक्ष द्वारा हमारे समक्ष व्यक्त कथनों व अधिनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश पर समस्त दृष्टिकोण से विवेचन किया गया। अपीलान्ट रेल्वे से रिटायर्ड कर्मचारी है, जिससे उनको मासिक पेन्शन प्राप्त होती है। अपीलान्ट द्वारा ऐसे कोई ठोस नये तथ्य, साक्ष्य सबूत के प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जावें। अतः अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

आदेश मेंरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.12.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गौरव गोयल)
जिला मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारी
अपीलीय भरण पोषण न्यायाधिकरण
अजमेर

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर

प्रार्थी / अपीलार्थी की ओर से निम्न निवेदन है :–

प्रार्थी वृद्ध वरिष्ठ नागरिक है

Scanned by CamScanner